न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– रामस्वरूप बनाम भागीरथ आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट

मु.नं0 32 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
08.12.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़, सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 141, 142, 170, 171, 172, 175 कुल किता 6 कुल रकबा 4.72 है0 अवस्थित है। ग्राम बगडियों का बास तन डूकिया तह0 दांतारामगढ़, सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 208, 209. 210 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 अवस्थित है। कृषि भूमि ख0नं0 141, 142 के पुराने ख0नं0 24 थे ख0नं0 171 से 175 तक के पुराने ख0नं0 83 व 84 रहे है। पुराने खसरा नंबरों की कुल भूमि 18 बीघा 14 बिस्वा थी। कृषि भूमि ख0नं0 208, 209, 210 में पुराने ख0नं0 105 रहे है, जिसका रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा था। प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थी के दादा छोटूराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। छोटूराम की मृत्यु सन 1974 में हुई थी उसके बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण सं0 182 दिनांक 10.5.1975 को स्वीकृत करके उनके पुत्रगण हणमान, फूला, मूला, धन्ना के खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र की मद सं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता जरिये विरासत 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज हुए। प्रा0प0 की मद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि जो ग्राम डूकिया में स्थित है, के काश्तकार कृषक प्रार्थी के दादा छोटूराम थे। किन्तु जागीरदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम के तहत जागीरदार की भूमि कृषक परिवार को उत्थान के लिए धारा 15 राज0 काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रार्थी के पिता हणमान के खातेदारी दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता हणमान के खातेदारी में संवत् 2012 अर्थान सन् 1959 में दर्ज की गई। ततसमय प्रार्थी के दादा जीवित थे जो सन् 1974 में फौत हुए थे। प्रार्थी का जन्म 1950 में हो चुका था। उसकी बडी बहन प्रभाती का जन्म 1938 को हुआ था। प्रार्थी की एक अन्य बडी बहन रामेश्वरी का जन्म 1941 को हुआ। भाई सम्पत का जन्म 1944 को तथा प्रभूदयाल का जन्म 1954 को एंव बहन गीता का जन्म 1947 को हुआ था। इस प्रकार उक्त भूमि भी प्रार्थी के दादा के फुट स्टेप पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 12 की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमियां होने के साथ साथ सहदायिक सम्पत्तियां है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 17 की वंशावली प्रा0 पत्र की मद सं0 7 अनुसार है। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि प्रा0पत्र की मद सं0 2 में वर्णित भूमि में 1/4 हिस्से में से 1/9 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। इसी प्रकार प्रा0 पत्र की मद सं0 3 मेंवर्णित कृषि भूमि ख0नं0 208, 209 व 210 में प्रार्थी 1/9 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। ग्राम गोवटी की भूमि के संबंध में सम्पत कुमार व प्रभूदयाल अप्रार्थी सं0 7 ने प्रार्थी के पिता को धोखे में रखकर व मुगालता देकर एक विक्रय पत्र दिनांकित 10.9.2001 अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया तथा उस आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली थी। उक्त विक्रय पत्र उप मद क,ख, ग अनुसार प्रार्थी के हक व अधिकार के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य है। प्रा0 पत्र की मद सं0 3 में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी	

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

के पिता हणमान ने अपने पुत्र भागीरथ व रामवतार के पक्ष में एक वसीयत दिनांकित 31.12.1999 निष्पादित की थी जो प्रार्थी क हक व अधिकार के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य है। यह कि दिनांकित 1.12.2022 को अप्रार्थी सं0 1 ता 17 एक राय होकर वादग्रस्त भूमियों की नापजोख करने लगे व प्रार्थी को धमकाने लगे कि उनके नाम वसीयत व विक्रय पत्र है। वे भूमियों को विक्रीत कर देगे। प्रार्थी इन लोगों का सामना नहीं कर सकता। अप्रार्थीगण यदि अपने कुत्सित प्रयासों में सफल हो गये तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी, जिसकी तलफी कतई संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मद सं0 6 अनुसार दो गांव की जमीन है। वादी के पिता को जमीन जरिये विरासत मिली है। जन्म से ही हमारा अधिकार है। जब दादा के नाम जमीन चढी उसी समय हमारा जन्म हो गया था। धारा 19 के तहत यह जमीन हमें मिली है। संवत् 2012 सन् 1959 को मिली थी। जब हमारे भाई बहनों का जन्म हो चुका था। मैं 1/9 हिस्से का खातेदार हूं। दिनांक 10.1.2001 में एक रजिस्ट्री हो गई और एक वसीयत 1999 को करवा ली। वाद में 1/9 हिस्से की घोषणा होनी है। वसीयत की भी अपील कर रखी है। मेरी टी0आई0 कंफर्म की जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मद सं0 3 में वर्णित भूमियां वादी ओर प्रतिवादी की कभी भी पैतृक नहीं रही है। यह क्रय शुद्धा भूमि है। हनुमान ने अपने जीवनकाल में दिनांक 13.12.1999 में वसीयत के द्वारा अपने पुत्र भागीरथ आदि के पक्ष में कर दी गई। सिविल न्यायालय में वसीयत को चैंलेज किया था। वादी ने जो पेश किया था वह खारिज हो गया। भूमि को पैतृक साबित नहीं कर पाये। मद सं0 2 में जो जमीन है। वह पैतृक है। जो नामान्तकरण है। वह छोटू के नाम से ही खुला है। इनके द्वारा रजिस्ट्री को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया है। जो टी0आई0 जारी की गई है। वह खारिज की जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.23 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 141, 142, 170, 171, 172, 175 कुल किता 6 कुल रकबा 4.72 है0 तथा ग्राम बगडियों का बास तन डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 208, 209, 210 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा अधिकार व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है, जो वर्तमान में तलबी एंव जवाब दावा में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें बाद तनकी साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर वाद में उठाये गये बिन्दूओं का निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

उपखण्ड अधिकारी (मु.) सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 42/2023 उनवानी रामस्वरूप बनाम भागीरथ आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 141, 142, 170, 171, 172, 175 कुल किता 6 कुल रकबा 4.72 है0 तथा ग्राम बगडियों .का बास तन डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 208, 209, 210 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

सहायक कलक्टर (मु.)सीकर